कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करें, व्यवसाय तथा संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करें।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करने तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करने के लिए।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रक्रिया स्थापित करने के लिए।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले ही अपवाद हैं जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:-

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम से (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) किया गया। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड, अपनी शक्तियाँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और अपने कार्य में इन्ही का अनुपालन करता है। इसकी प्रमुख भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण निगरानी करना;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकतम वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 को बोर्ड में आठ अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 को केंद्रीय बोर्ड की संरचना निम्नानुसार रही :

- धारा 19(क) के अंतर्गत आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष।
- धारा 19(ख) के अंतर्गत आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन प्रबंध निदेशक।
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- धारा 19 (च) के अंतर्गत आरबीआई की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

निदेशक बोर्ड का गठन सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

प्रत्येक गैर-कार्यपालक निदेशक का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/ समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड को वर्ष में कम से कम छह बैठकें करनी होती हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की तेरह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तारीखें : 26.04.2017, 19.05.2017, 27.06.2017, 26.07.2017, 11.08.2017, 27.09. 2017, 25.10. 2017,10.11.2017, 27.12. 2017, 31.01.2018, 09.02.2018, 28.02.2018 तथा 21.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/ चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	06	06
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)	07	07
श्री रजनीश कुमार, एमडी (एनबीजी) (06.10.2017 तक)	06	06
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जीबी	13	13
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी	13	13
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर, आईटी एंड एस	13	12
श्री संजीव मल्होत्रा	13	10
श्री एम. डी. माल्या (25.06.2017 तक)	02	02
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (25.06.2017 तक)	02	02
श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	11	10
श्री बसंत सेठ (26.06.2017 तक)	11	10
श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	10	07
डॉ. गिरीश के. अहूजा	13	07
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	13	12
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (01.02.2018 से)	03	03
श्रीमती अंजुलि चिब दुग्गल (31.08.2017 तक)	05	01
श्री राजीव कुमार (12.09.2017 से)	08	00
श्री चन्दन सिन्हा	13	07

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले को डील कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार रही।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/ चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	27	24
2.	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (07.10.2017 से)	25	24
3.	श्री रजनीश कुमार, एमडी (एनबीजी)(06.10.2017 तक)	27	23
4.	श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जी बी	52	43
5.	श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी	52	45
6.	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर,आईटी एंड एस	52	51
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	38
8	श्री एम. डी. माल्या (25.06.2017 तक)	12	08
9	श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (25.06.2017 तक)	12	09
10	श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	49	24
11	श्री चंदन सिन्हा	52	30
जिस स्थान पर बैठकें हुई सामान्यतः उस स्थान के निवासी न होने वाले निदेशकगण जो बैठक के दिन बैठक के स्थान पर उपस्थित थे/ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया :			
12	श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	32	32
13	श्री बसंत सेठ (25.06.2017 से)	26	26
14	डॉ. गिरीश के. अहूजा	01	01
15	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	28	28
16	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (01.02.2018 से)	01	01

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय अन्य ग्यारह समितियाँ गठित की हैं। ये हैं:- बैंक की लेखा-परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति, बोर्ड की नामांकन समिति। ये समितियाँ लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी, इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों की पहचान की समीक्षा तथा निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन करने भरने वाले अभ्यर्थी की 'ठीक व उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा निगरानी में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान पर अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार समय-समय पर, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। ये समितियाँ बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी लेती हैं। नामांकन समिति का गठन निदेशक के रूप में शेयरधारकों द्वारा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले अभ्यर्थी की समुचित सावधानी व 'ठीक व उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण तथा जब भी आवश्यक हो बैठक करने के लिए किया गया है। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को किया गया था और पिछली बार इसका पुनर्गठन 21 मार्च 2018 को किया गया। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न हो।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन (फॉलोअप) की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 अनुपालन;

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लॉग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित औपचारिक 'ऑडिट चार्टर अथवा 'विचारार्थ विषय' निर्धारित किया गया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2017-18 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2018 को सात सदस्य थे, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके संगठन तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड का लेखा परीक्षा समिति की तेरह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तिथियाँ : 20.04.2017, 25.04.2017, 18.05.2017, 14.06.2017, 26.07.2017, 10.08.2017, 14.09.2017, 18.10.2017, 09.11.2017, 12.12.2017, 03.01.2018, 09.02.2018 और 14.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
डॉ. गिरीश के. अहूजा, समिति के अध्यक्ष	13	12
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जी बी	13	11
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी (06.10.2017 तक)	07	07
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी आर,आईटी एंड एस (07.10.2017 से)	06	06
श्री एम. डी. मल्या, (25.06.2017 तक)	04	02
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (25.06.2017 तक)	04	04
श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	09	08
श्री बसंत सेठ (26.06.2017 से)	09	08
श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	08	04
श्रीमती अंजुलि चिब दुग्गल (31.08.2017 तक)	06	00
श्री राजीव कुमार (12.09.2017 से)	07	00
श्री चंदन सिन्हा	13	09

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का गठन ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम से संबंधित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति की निगरानी के लिए किया गया। यह समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। गैर-कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में कम से कम चार, प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2017-18 के दौरान इसकी चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 21.06.2017, 18.09.2017, 20.12.2017 और 31.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री संजीव मल्होत्रा, समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा, सदस्य (20.03.2018 तक)	03	02
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी अध्यक्ष (20.03.2018 तक)	03	02
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी सदस्य (21.03.2018 से)	01	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (06.10.2017 तक)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (07.10.2017 से)	02	02
श्री एम. डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04
श्री भास्कर प्रमाणिक (26.06.2017 से)	03	02
श्री बसंत सेठ (26.06.2017 से)	03	03
श्री प्रवीण कुटुंबे (26.06.2017 से 08.03.2018 तक)	02	02

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी) का गठन 30 जनवरी 2001 को किया गया था। यह समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई तथा इसमें छः सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति ने चार बैठकें की तथा शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की।

वर्ष 2017-18 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 13.04.2017, 10.07.2017, 11.10.2017 और 17.01.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री एम. डी. माल्या - समिति के अध्यक्ष (25.06.2017)	01	01
श्री प्रवीण कुटुंबे, समिति के अध्यक्ष (26.06.2017 से 20.03.2018 तक)	03	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	00	00
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, सदस्य (20.03.2018 तक)	04	04
श्री रजनीश कुमार एमडी-एनबीजी (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी.के. गुप्ता एमडी-आर एंड डीबी (07.10.2017 से)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर,आईटी एंड एस	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
डॉ. गिरीश के. अहूजा	04	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (21.03.2018 से)	00	00

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) : 603
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुई शिकायतों की संख्या : निरंक
लंबित शिकायतों की संख्या (न्यायालय के विचाराधीन शिकायतें) : निरंक
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री संजय अभयंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव) :

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (यदि हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें आठ सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक करते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 30.05.2017, 18.08.2017, 16.11.2017 और 28.02.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	* बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी, समिति के अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी -आर एंड डी बी, समिति के अध्यक्ष (07.10.2017 से 20.03.2018 तक)	02	02
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी -आर एंड डी बी, सदस्य (06.10.2017 तक)	02	01
श्री बसंत सेठ समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	00	00
श्री बसंत सेठ, सदस्य (27.06.2017 से 20.03.2018 तक)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (25.10.2017 तक)	02	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री बी. श्रीराम एमडी-सी एंड जीबी (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	00
श्री भास्कर प्रमाणिक (27.06.2017 से)	03	03
श्री प्रवीण कुटुंबे (27.06.2017 से 08.03.2018 तक)	03	01
डॉ. गिरीश के. अहूजा	04	04
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	03

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना है। इस समिति का पिछला पुनर्गठन 21 मार्च 2018 को किया गया। इसमें आठ सदस्य हैं तथा अध्यक्षता गैर-कार्यपालक सदस्य द्वारा की जाती। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 11.05.2017, 03.08.2017, 01.11.2017 और 14.02.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जीबी, समिति के अध्यक्ष (20.03.2018 तक)	04	04
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, समिति के अध्यक्ष (21.03.2018 से)	00	00
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी- आर एन डीबी (25.10.2017 से)	02	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक (27.06.2017 से)	03	02
श्री बसंत सेठ (27.06.2017 से)	03	03
श्री गिरीश के. अहूजा (27.06.2017 से)	03	02
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (22.03.2018 से)	00	00

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। बैंक के प्रौद्योगिकीय विकास में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

2) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश के जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य हैं;

4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा की जाने वाली निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल राशि की निगरानी करना; और

5) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और व्यवसाय संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार प्रदर्शन) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की छः बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 03.05.2017, 24.08.2017, 04.10.2017, 22.11.2017, 22.02.2018 और 22.03.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री दीपक आई अमीन, समिति के अध्यक्ष (25.06.2017 तक)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक समिति के अध्यक्ष (27.06.2017 से)	05	05
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सी एंड जीबी	06	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी (24.10.2017 तक)	03	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आर एंड डीबी, वैकल्पिक सदस्य	01	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस (25.10.2017 से)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- आर,आईटी एंड एस, वैकल्पिक सदस्य	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	06	01
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री प्रवीण कुटुंबे (27.06.2017 से 08.03.2018 तक)	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	06	05
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (21.03.2018 से)	00	00

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। समिति पिछली बार 21 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 13.04.2017, 26.07.2017, 11.10.2017 और 17.01.2018

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी समिति के अध्यक्ष (06.10.2017 तक)	02	02
श्री पी. के. गुप्ता एमडी- आर एंड डीबी समिति के अध्यक्ष (06.10.2017 से)	01	01
श्री पी. के. गुप्ता एमडी- आर एंड डीबी वैकल्पिक सदस्य	01	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - आर, आईटी, एंडएस	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम.डी. माल्या (25.06.2017 तक)	01	00
श्री दीपक आई अमीन (25.06.2017 तक)	01	01
श्री भास्कर प्रमाणिक (27.06.2017 से)	03	03
श्री बसंत सेठ (27.06.2017 से)	03	02
श्री प्रवीण कुटुंबे (27.06.2017 से 08.03.2018 तक)	03	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	03
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (21.03.2018 से)	00	00

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 21 मार्च 2018 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (i) सरकार द्वारा नामित निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (iii) दो गैर कार्यपालक निदेशक - श्री बसंत सेठ और डॉ. गिरीश के. अहूजा शामिल हैं। यह समिति पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की संवीक्षा कर उसका भुगतान करने की संस्तुति करती है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई थी। समिति पिछली बार 31 मार्च 2018 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की पाँच बैठकें हुईं जिनमें एनपीए प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के एनपीए खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों की पहचान के लिए समीक्षा समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रबंध निदेशक-सी एंड जीबी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और कोई दो अन्य स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (ऐसी समिति जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी के बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के बारे में पुष्टि करती है।

इस समिति की बैठक वर्ष 2017-18 के दौरान चार बार हुई।

बोर्ड की नामांकन समिति:

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की नामांकन समिति गठित करता है।

समिति का पिछला पुनर्गठन 25.04.2018 को किया गया।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) स्थित हो ऐसे प्रत्येक केंद्र में स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 को तीन स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष तेरह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2015 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 20,000 हजार रुपए का और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 10,000/- रुपए का बैठक-शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

1. एसबीआई अधिनियम धारा 19(ग) के अंतर्गत चार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति के लिए जून 2017 में निदेशकों का चुनाव सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष के दौरान नव निर्वाचित निदेशकों के लिए 'ऑन-बोर्डिंग' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अन्य बातों के अलावा इसमें संगठनात्मक संरचना, विभिन्न व्यावसायिक समूहों तथा बैंक के सहयोगियों व अनुषंगियों, आईटी विकास, आईटी सुरक्षा, मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी शामिल थी।

2. बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकनः बोर्ड गवर्नेंस को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाह्य परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली है। इस संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय समितियों और पूरे केंद्रीय बोर्ड के निष्पादन मानदंड निर्धारित करने में सहायता देने के साथ-साथ समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायता की है। मूल्यांकन के पैरामीटर और समग्र प्रक्रिया सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा नए सेबी बोर्ड मूल्यांकन दिशानिर्देश नोट 2017 के प्रावधानों के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष और पूरे केंद्रीय बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की 21 मार्च 2018 को अलग से आयोजित बैठक में किया गया। स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड स्तरीय समितियों के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड द्वारा भी किया गया।

   मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत बैंक के गवर्नेंस मूल्यों में निदेशक बोर्ड के विश्वास को दोहराया गया और निदेशक बोर्ड तथा अध्यक्ष, बोर्ड एवं मैनेजमेंट के बीच मौजूदा सहयोग में भी भरोसा व्यक्त किया गया।

3. बैंकों के बोर्डों से गवर्नेंस के बारे में उत्तरोत्तर की जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं और हमारे बैंक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका को देखते हुए, उद्योग की नवीनतम प्रवृति से कदम मिलकर चलते हुए आगे की राह निर्धारित करने के लिए बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए रणनीति नामक एक कार्यनीतिक कार्यशाला (7 जनवरी से 9 जनवरी 2018 तक) आयोजित की गई। इस कार्यशाला में एक प्रभावी संस्था बनाने के लिए मानव संसाधन चुनौतियों, एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट आस्ति बही बनाने, आस्तियों पर प्रतिफल तथा लाभ पर केंद्रित रह कर तुलन पत्र आबंटन

को अधिकतम करने, आईटी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग अनुरूप संवृद्धि के लिए कार्यनीति, अनुषंगियों द्वारा मूल्य सृजन, स्थायी संवृद्धि के केंद्र में ग्राहक सेवा संबंधित विभिन्न विषयों पर मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला के दौरान बोर्ड द्वारा कई कार्यनीतियों, व्यवसाय संवर्धन के लक्ष्यों एवं प्रमुख वित्तीय मानदंडों का निर्धारण किया गया। साथ ही, प्रत्येक व्यवसाय समूह को ऐसी कार्य योजनाएं लक्ष्य सहित तैयार करके कार्यशाला में आने के लिए कहा गया था जिनकी प्रगति की बाद में समीक्षा की जा सके। विस्तृत कार्य योजना कतिपय समय सीमाओं के साथ और जिम्मेदारी निर्वाह तथा विभिन्न महत्वपूर्ण शुरुआतों को लागू करने की स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी।

4. निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण आदि के कार्य में बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास में बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं:

(i) चार गैर-कार्यपालक निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए 23 से 24 अक्तूबर 2017 के दौरान मुंबई में उन्नत वित्तीय शोध एवं ज्ञानार्जन केंद्र (कैफरल) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-कार्यपालक निदेशकों में विनियामक विकासों, पूंजी आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन, व्यावसायिक कार्यनीति गवर्नेंस मुद्दों इत्यादि बारे में जागरूकता तथा समझ विकसित करना था।

(ii) कॉर्पोरेट गवरनेंस प्रथाओं को सुदृढ़ करने के एक भाग के रूप में दिनांक 27.12.2017 को केंद्रीय बोर्ड की बैठक के दौरान सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी से चर्चा आयोजित की गई।

(iii) जोखिम संस्कृति आकलन फ्रेमवर्क पर मै. अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा केंद्रीय बोर्ड के समक्ष 31.01.2018 को एक प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुति में बैंक में जोखिम संस्कृति आकलन के उद्देश्य व लाभ, जोखिम संस्कृति के चार पहलू इत्यादि विषयों को शामिल किया गया था।

(iv) ऋण शोधन अक्षम तथा दिवालियापन संहिता 2016 में हुए संशोधनों के संबंध में निदेशकों को नवीनतम जानकारी देने के लिए मै. शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी द्वारा दिनांक 28.02.2018 को बोर्ड के सामने एक प्रस्तुति दी गई।

(v) डिजिटल अपराधशास्त्र पर एक विशेषज्ञ के माध्यम से निदेशक मंडल के लिए सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी जागरूकता पर एक प्रस्तुतीकरण दिनांक 21.03.2018 केंद्रीय बोर्ड की बैठक में कराया गया।

वर्ष 2017-18 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान

(राशि रुपए में)

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	बकाया	अन्य	कुल
अध्यक्ष					
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (06.10.2017 तक)	1393548.39	76427.42	0.00	0.00	1469975.81
श्री रजनीश कुमार (07.10.2017 से)	1348625.81	73968.29	0.00	3000.00	1425594.10
प्रबंध निदेशकगण					
श्री बी. श्रीराम	2614800.00	137277.00	0.00	22000.00	2774077.00
श्री रजनीश कुमार (06.10.2017 तक)	1307400.00	65370.00	0.00	5000.00	1377770.00
श्री पी. के. गुप्ता	2464800.00	129402.00	0.00	14000.00	2608202.00
श्री दिनेश कुमार खारा	2464800.00	129402.00	0.00	2000.00	2596202.00

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 27 जून 2017 को आयोजित वर्ष 2016-17 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री बी. श्रीराम, श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा और डॉ. पुष्पेन्द्र राय, श्री बसंत सेठ और श्री प्रवीण कुटुंबे। वार्षिक महासभा (2015-16) 30 जून 2016 को और वार्षिक महासभा (2014-15) 2 जुलाई 2015 को आयोजित हुई थी।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे वृहत् रूप में बैंक के हितों से संघर्ष की संभावना हो।

2. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

3. कर्मचारियों द्वारा सेवा-नियमों के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी अनैतिक कार्य या व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए विसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और उसे "बैंक वेबसाइट" पर पर प्रदर्शित की गई है। विसल ब्लोअर के हितों की रक्षा / पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किया गया है। यह नीति बैंक के सभी स्टाफ के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। वे चाहें तो बैंक में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों/वरीय के किसी अनैतिक, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश करने के लिए विसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पीआईडीपीआई शिकायत का निपटान भारत सरकार के वर्ष 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को इन शिकायतों के निपटान के संबंध में नामित किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में दी गई कारपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं का हर प्रकार से पालन उस सीमा तक किया है जहाँ तक इस खंड की आवश्यकताएँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विरुद्ध न हों।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर प्रदर्शित किए गए थे। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक / छमाही / तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	:	दिनांक 28.06.2018, समय : अपराह्न 3.00 बजे स्थान : वाई.बी.च्वहाण केंद्र, मुंबई
वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2017 से 31.03.2018
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीबद्ध हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था		भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता		मैसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशल सर्विसेस लिमिटेड प्लॉट बी-5, एमआईडीसी, पार्ट बी, क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	:	022-66712001 से 10 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधे नंबर	:	022-66712198/66712199
ई-मेल पता		sbi_ dbsl@datamaticsbpm.com
फैक्स		(022) 6671 2204
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता		मैसर्स अलंकित एसाइंमेंट्स(01.07.2018 से) आर.आर. हाउस आईडिअल इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू एम्पायर मिल के सामने, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013, भारत
टेलिफोन नंबर	:	(022) 43481300/43481221 / www.alankit.com
ई-मेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्र-व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स		(022) 2285 5348
ई-मेल पता		gm.snb@sbi.co.in investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय रुपए में जारी पूंजी लिखत)		आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 फैक्स नंबर : 91-22-66311776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में संपूर्ण समर्पित शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2018 के दौरान पूंजी वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने निम्नानुसार ईक्विटी पूंजी जुटाई है:

क) पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 14,999,99,99,859.75 (चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार आठ सौ उनसठ रुपए एवं पचहतर पैसे) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 14,947,78,06,648.75 (चौदह हजार नौ सौ सैंतालीस करोड़ अठतर लाख छह हजार छह सौ अड़तालीस रुपए एवं पचहतर पैसे) शामिल हैं जो अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) को आबंटित प्रति ₹ 1 के 52,21,93,211 ईक्विटी शेयर के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 12.06.2017 को किया गया था।

ख) पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 5,40,600.00 (पाँच लाख चालीस हजार छह सौ रुपए) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 5,37,200 (पाँच लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपए) शामिल हैं आस्थगित रखे गए प्रति ₹ 1 के 3400 शेयर को जारी करने से प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 01.11.2017 को किया गया था।

ग) पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 8799,99,99,938.00 (आठ हजार सात सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ अठत्तीस

रुपए) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 8770,74,66,227.00 (आठ हजार सात सौ सत्तर करोड़ चोहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ सत्ताईस रुपए) शामिल हैं जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹ 1 के 29,25,33,741 अधिमान ईक्विटी शेयर के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 27.03.2018 को किया गया था।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2018 को बैंक के पास 1,26,24,898 जीडीआर से संबंधित 12,62,48,980 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,006	242270
जोड़े: e-SBBJ के शेयर तथा वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	144	17122
योग	1150	259392
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	1450
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	8	1450
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1142	257942

इस के दावा रहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं करते।

लाभांश की परंपरा/लाभांश वितरण नीति

शेयरधारकों को लाभांश वितरण नीति लागू है। यह नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के लिंक Corporate Governance >>> Policies के अंतर्गत उपलब्ध है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2018 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 3.74% और एनएसई निफ्टी में 2.38% रहा।

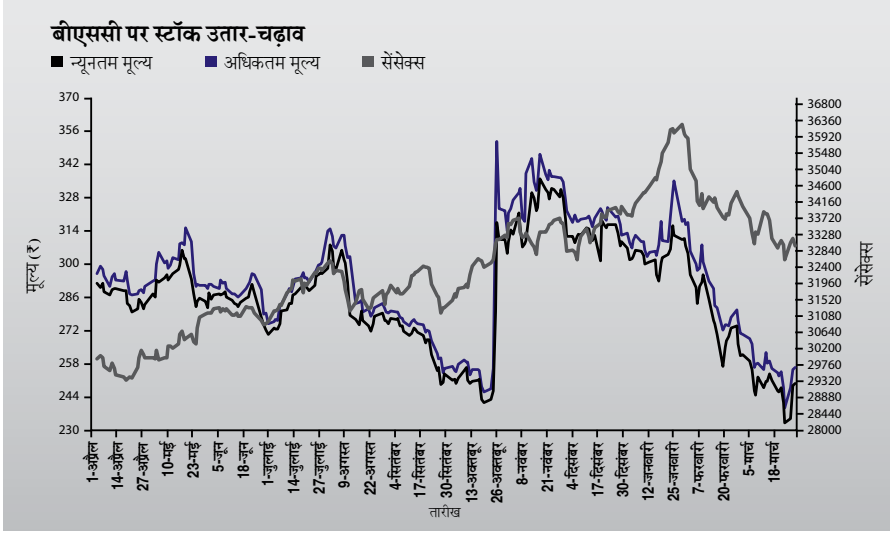

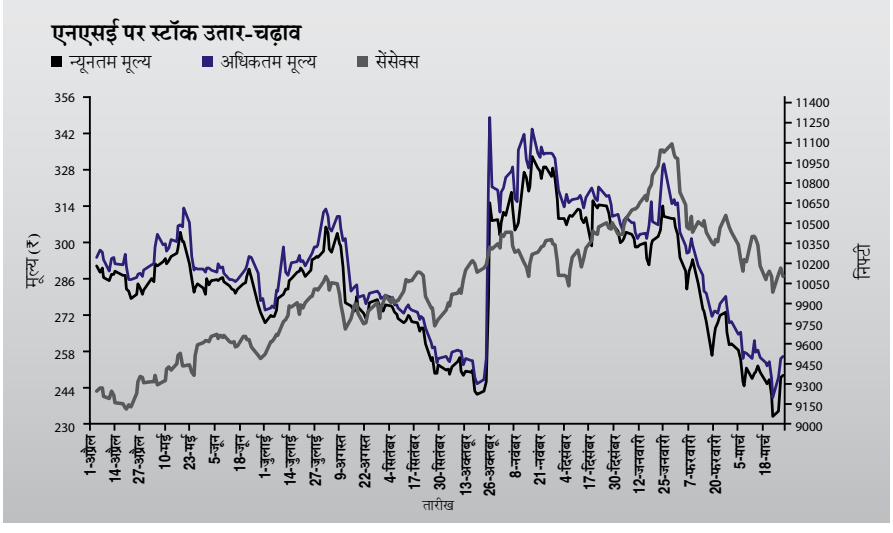

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई		एनएसई		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-17	296.70	281.95	297.35	282.05	46.35	43.50
मई-17	308.15	283.15	308.00	283.15	48.35	44.25
जून-17	294.55	272.55	294.50	272.45	45.20	42.20
जुलाई-17	312.55	273.00	312.50	273.00	48.40	42.00
अगस्त-17	311.10	274.10	311.20	273.90	48.35	42.30
सितंबर-17	277.80	250.45	277.85	250.40	43.30	38.25
अक्तू-17	324.70	242.50	324.90	242.75	49.20	37.35
नवंबर-17	337.40	309.75	337.50	309.55	51.80	47.70
दिसंबर-17	319.85	308.30	319.85	308.40	49.60	48.10
जनवरी-18	329.50	296.15	329.90	296.15	51.60	46.30
फरवरी-18	305.55	267.65	306.05	267.60	47.75	40.65
मार्च-18	263.80	234.60	263.50	234.80	40.65	36.35

बही मूल्य प्रति शेयर ₹199.00

31.03.2018 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.03
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ अन्य कॉरपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	12.63
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	10.82
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	1.42
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	11.01
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	6.09
	कुल	**100.00**

31.03.2018 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.03
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	9.84
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	3.19
4	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल बलेंसड़ फंड (म्यूचुअल फंड)	2.21
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	1.44
6	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	1.42
7	एसबीआई मेगनम बलेंसड फंड (म्यूचुअल फंड)	1.30
8	यूरो पेसिफिक ग्रोथ फंड	1.10
9	फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मयूचुअल फंड(म्यूचुअल फंड)	0.64
10	गर्वमेंट ग्लोबल फंड ग्लोबल (एफ़आईआई)	0.63

शेयरों को डीमैट करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती है। 31.03.2018 को कुल ईक्विटी पूंजी का 98.91% अर्थात 882,72,05,476 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों का %
एनएसडीएल	877745	3477425729	38.97
सीडीएसएल	511991	5349779747	59.94
भौतिक रूप में	229120	97382058	1.09
कुल	**1618856**	**8924587534**	**100.00**

31 मार्च 2018 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य रु. 1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का%	रु.में कुल धारिता	कुल पूंजी का %
1-5000	1611369	99.538	430,847,070	4.828
5001-10000	3888	0.240	27,600,696	0.309
10001-20000	1515	0.094	21,133,498	0.237
20001-30000	452	0.028	11,156,968	0.125
30001-40000	228	0.014	7,985,670	0.089
40001-50000	141	0.009	6,428,058	0.072
50001-100000	305	0.019	22,293,291	0.250
100001 से अधिक	958	0.058	8,397,142,283	94.090
कुल	**1,618,856**	**100.00**	**8,924,587,534**	**100.000**

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

बैंक इस समय ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरीवेटिव्स व ब्याज दर फ्यूचर्स एवं एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरीवेटिव्स सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, फॉरवर्ड दर करार, कैप, फ्लोर तथा कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा किए जाने वाले मुद्रा डेरीवेटिव्स में मुद्रा स्वैप, रुपया-डॉलर ऑप्शनस तथा क्रॉस मुद्रा ऑप्शनस शामिल हैं। बैंक, अपने ग्राहकों को उनके जोखिम से बचाव करने के लिए हेडजिंग उत्पाद पेश करता है और इस जोखिम की सुरक्षा के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएं भी करता है। डेरिवेटिव्स का प्रयोग ट्रेडिंग तथा तुलन पत्र मदों की हेजिंग दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में ऑप्शन स्थिति भी संचालित करता है, जिसका प्रबंधन विभिन्न प्रकार की लॉस सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

डेरीवेटिव्स लेनदेनों में बाज़ार जोखिम निहित होता है अर्थात विनिमय दर में प्रतिकूल संचालन के कारण बैंक को होने वाली संभाव्य हानि तथा ऋण जोखिम, प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लॉस ट्रिगर्स, ऑपन पोजीशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, रिलेशनशिप की अवधि, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि) के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक पक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

डेरिवेटिव सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक सहभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित हैं। इसी प्रकार डेरिवेटव सौदे केवल उन्हीं कॉर्पोरेटों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए ऋण एक्स्पोसर सेमाएँ निर्धारित की गई हैं।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समित (एएलसीओ) इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े बाज़ार जोखिम की पहचान, मापन, मॉनिटरिंग करता है, इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति में निर्धारित अनुपालन की रिपोर्टिंग करता है।

डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन नीति आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है, इसका विवरण अनुसूची 17: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 'प्रिन्सिपल एकाउंटिंग पोलिसिसट(पीएपी) में दिया गया है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2018 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)
श्री मल्होत्रा को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं। श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त में वरिष्ठ पदों पर 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री भास्कर प्रमाणिक

(जन्म दिनांक : 20 मार्च 1951)
श्री प्रमाणिक को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे आईआईटी कानपुर से इंजीनिरिंग स्नातक हैं। श्री प्रामाणिक को भारतीय आईटी उद्योग का 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बोर्ड के लिए निर्वाचित होने से पहले उन्होने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होने ओरेकल तथा सन माइक्रोसिस्टम्स के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री बसंत सेठ

(जन्म दिनांक : 16 फरवरी 1952)
श्री सेठ को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं। श्री सेठ को सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम कॉरपोरेट अभिशासन तथा प्रशासनिक मामलों सहित बैंकिंग एवं वित्त में 40 वर्ष का अनुभव है। बैंक के बोर्ड में आने से पहले वे केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वे सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रहे हैं। उन्होने सिडबी तथा बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।

डॉ. गिरीश कुमार अहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)
डॉ. गिरीश कुमार अहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. अहूजा सनदी लेखाकार और अकादमिक हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 46 वर्ष का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य का लगभग 38 वर्ष का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्रीयाँ प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

(जन्म दिनांकः 20 नवंबर 1949)
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 01 फरवरी 2018 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिल्ली विशविद्यालय में गणित की प्रोफेसर हैं। उन्होने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की है, उन्होने बीएससी (गणित) तथा एमए (गणित) दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उनका मुख्य योगदान 'डोमिनेशन इन ग्राफ एंड हाइपर ग्राफ' सिद्धांत तथा 'पार्टिशन ग्राफ' के क्षेत्र में है।

श्री राजीव कुमार

(जन्म दिनांकः 19 फरवरी 1960)
श्री राजीव कुमार को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 12 सितंबर 2017 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव कुमार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में सचिव हैं।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)
श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा सीएएफ़आरएएल, मुंबई के एक अपर निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2018 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग, मुंबई-400 006	07.10.2017/ 06.10.2020	अध्यक्ष: 02
2	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	17.07.2014/ 30.09.2018	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
3	श्री पी. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015/ 31.03.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 01
4.	श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.08.2016/ 08.08.2019	निदेशक : 02 समिति सदस्य :04
5.	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6, मोटाभाई मेंशन, 130, महर्षि कर्वे मार्ग चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
6.	श्री भास्कर प्रमाणिक	आईटी व्यावसायिक 01-पी एच ई, स्काइकोर्ट,लेबरनम, सुशांत लोक, सेक्टर-28 गुरुग्राम- 122002	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक :02 समिति अध्यक्ष : 01 समिति सदस्य :02
7.	श्री बसंत सेठ	सनदी लेखाकार फ़्लैट न. 304, कल्पना टावर, 3/16 विष्णुपुरी, कानपुर-208002	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक :02 समिति सदस्य : 02
8.	डॉ. गिरीश के. अहूजा	सनदी लेखाकर मै. जी के अहूजा एंड कंपनी, ई-64, एलजीएफ़, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048	28.01.2016/ 27.01.2019	निदेशक : 02 समिति अध्यक्ष : 02 समिति सदस्य : 03
9.	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	विकास विशेषज्ञ, (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोक सेवक) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057	28.01.2016/ 27.01.2019	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
10.	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	अकादमिशियन-गणित, ए -1/2 पंचशील एंक्लेव, नई दिल्ली-110017	01.02.2018/ 31.01.2021	निदेशक :01 समिति सदस्य :01
11.	श्री राजीव कुमार भारत सरकार नामिती	सचिव (वित्तीय सेवाएँ), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग), जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	12.09.2017/ अगले आदेश तक	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
12.	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती	अपर निदेशक काफराल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8, 8वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051	28.09.2016/ अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01

अनुलग्नक II ए

31.03.2018 को निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

1. श्री रजनीश कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति का नाम
11	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति- अध्यक्ष वसूली निगरानी बोर्ड समिति-अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	
3	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष	
4	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	
5	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष	
6	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष	
7	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	
8	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य, शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड)	
9	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे	एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड-सदस्य	एनआईबीएम वित्त समिति - अध्यक्ष एनआईबीएम स्थायी समिति - सदस्य
10	भारतीय बैंक संघ	उपाध्यक्ष,प्रबंधन समिति	
11	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	
12	भारतीय बैंक एवं वित्त संस्थान	सदस्य-गवर्निंग कॉउसिंल	

2. श्री बी. श्रीराम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति(यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष इरादतन चूककर्ताओं/सहयोग नहीं करने वाले ऋणियों की पहचान समिति-अध्यक्ष
2.	एसबीआई डीएफ़एचआई लि.	निदेशक	
3.	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर लि.	निदेशक	

3. श्री पी. के. गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति -सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति -सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एसबीआई फ़ाउंडेशन	निदेशक	एसबीआई फाउंडेशन की कार्यकारी समिति- सदस्य सीएसआर समिति- सदस्य
3.	एसबीआई लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
4.	एसबीआई जेनेरल इन्शोरेंस कंपनी लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायितत्व समिति - सदस्य तकनीक समिति - सदस्य बैंक एश्योरेंस समिति- सदस्य
5.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	सदस्य	एनसीडीसी की महापरिषद- सदस्य

4. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति -सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य निदेशकों की समिति - अध्यक्ष एचआर समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज प्रा. लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
4	एसबीआई कैप वैंचर्स लि.	निदेशक	
5	एसबीआई कैप (यू.के.) लि.	निदेशक	
6	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य एचआर समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
8	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बैंक एश्योरेंस समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य प्रौद्योगिकी समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य

10	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य बोर्ड की लाभ से संबंधित समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	एचआर उप-समिति - सदस्य
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
13	एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट सर्विस प्रा. लि.	निदेशक	सलाहकार समिति - सदस्य
14	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यपालक समिति - सदस्य
15	एसबीआई इन्फ्रा मेनेजमेंट प्र. लि.	निदेशक	

5. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
2	कोटक एएमसी	निदेशक	-
3	फेयर फस्ट इंश्योरेंस लि. (श्रीलंका)	निदेशक	-

6. श्री भास्कर प्रमाणिक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	संक्य इन्फोटेक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन व पारिश्रमिक समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
3	टीसीएन एस क्लोथिंग कंपनी	निदेशक	तकनीक समिति - अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति - सदस्य सीएसआर समिति - सदस्य

7. श्री बसंत सेठ

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2	रोटो पंप लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य
3	एकाउंट स्कोर इंडिया प्रा. लि.	निदेशक	-

8. डॉ. गिरीश के. अहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य
2	फ्लेअर पब्लिकेशन्स प्रा. लि.	निदेशक	-
3	अंबर इंटरप्राइस इंडिया लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य
4	पीआईसीएल (इंडिया) प्रा. लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य

9. डॉ. पुष्पेंद्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यानीति समिति- सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति - सदस्य

10. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य

11. श्री राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	

12. श्री चंदन सिन्हा

1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति - सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई साधारण विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक - III

31.03.2018 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	0
2	श्री बी. श्रीराम	500
3	श्री पी. के. गुप्ता	4900
4	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
5	श्री संजीव मल्होत्रा	8800
6	श्री भास्कर प्रमाणिक	15,000
7	श्री बसंत सेठ	5000
8	डॉ. गिरीश के. अहूजा	2000
9	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	0
10	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	0
11	श्री राजीव कुमार	0
12	श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	200000	590000	790000
2	श्री एम. डी. माल्या	40000	110000	150000
3	श्री दीपक आई. अमिन	40000	190000	230000
4	श्री भास्कर प्रमाणिक	200000	580000	780000
5	श्री बसंत सेठ	200000	470000	670000
6	श्री प्रवीण कुटुंबे	140000	400000	540000
7	डॉ. गिरीश के. अहूजा	140000	220000	360000
8	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	240000	550000	790000
9	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	60000	20000	80000
10	श्री चंदन सिन्हा	120000	390000	510000

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2017-18) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

प्रकटीकरण अपेक्षाएं
(सेबी सूचीकरण दायित्व विनियम, 2015 का विनियम 27)

1. **दि बोर्ड** - यह आवश्यकता गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के मामले है। चूंकि बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष है इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - बैंक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तथापि, बैंक प्रत्येक शेयरधारक के पते पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम नहीं भेजता है।
3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प** - यह आवश्यकता लेखा परीक्षा योग्यता/संशोधन विकल्प के मामले में है। लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करते समय स्टॉक एक्सचेंज में असंशोधित विकल्प के साथ लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
4. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद** - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक (उप प्रबंध निदेशक - निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा) सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने, वर्मा एण्ड वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 004532S), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कॉरपोरेट केंद्र स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन-400 021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त यथा प्रयोज्य सूचीकरण करार में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 004532S

पी आर प्रसन्न वर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 025854

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2018